

**परिपत्र**

17वीं लोक सभा के 7वें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र के कार्यक्रम को दर्शाते हुए संसदीय बुलेटिन का सार सूचनार्थ परिचालित किया जाता है:-

क्र. सं.	विवरण	लोक सभा	राज्य सभा
i.	सत्र प्रारम्भ होने की तारीख	29 नवम्बर, 2021 (सोमवार)	29 नवम्बर, 2021 (सोमवार)
ii.	सत्र समाप्त होने की अनंतिम तारीख	23 दिसम्बर, 2021 (बृहस्पतिवार)	23 दिसम्बर, 2021 (बृहस्पतिवार)
iii.	प्रश्नकाल	11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे दोपहर	12:00 बजे दोपहर से 1:00 बजे अपराह्न
iv.	बैठकों का समय	11:00 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न और 2:00 बजे अपराह्न से 6:00 बजे अपराह्न	11:00 पूर्वाह्न से 1:00 अपराह्न और 2:00 बजे अपराह्न से 6:00 बजे अपराह्न (शुक्रवार को 2:30 बजे अपराह्न से 6:00 बजे अपराह्न)
v.	गृह मंत्रालय के प्रश्न दिवस	30.11.2021, 07.12.2021, 14.12.2021 और 21.12.2021 (सभी मंगलवार)	01.12.2021, 08.12.2021, 15.12.2021 और 22.12.2021 (सभी बुधवार)
vi.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए दिवस	03.12.2021, 17.12.2021 (शुक्रवार)	03.12.2021, 17.12.2021 (शुक्रवार)
vii.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प के लिए दिवस	10.12.2021, 23.12.2021 (शुक्रवार)	10.12.2021, 23.12.2021 (शुक्रवार)

- लोक सभा और राज्य सभा में गृह मंत्रालय के लिए प्रश्न दिवस क्रमशः **मंगलवार और बुधवार** होंगे।
- गृह मंत्रालय के संबंध में, लोक सभा और राज्य सभा के स्वीकृत प्रश्नों (स्मरण-पत्र) की अनंतिम सूची गृह मंत्रालय के प्रश्न दिवसों के पूर्ववर्ती **बुधवार और बृहस्पतिवार** को उपलब्ध होगी। गृह मंत्रालय के संबंध में, लोक सभा और राज्य सभा के मुद्रित प्रश्न **गृह मंत्रालय के संबंधित प्रश्न दिवसों के पूर्ववर्ती बृहस्पतिवार और शुक्रवार** को उपलब्ध होंगे।

*शिव लहरी मीना*  
18/11/2021

(शिव लहरी मीना)

अवर सचिव (संसद)

दूरभाष : 23092518

फैक्स : 23093655

कृ.पृ.उ.

सेवा में,

राजभाषा विभाग और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय सहित गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. गृह मंत्री/गृह राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी - (प्रत्येक को 2 प्रतियां)।
2. गृह मंत्री/गृह राज्य मंत्रियों के अपर निजी सचिव - (प्रत्येक को 2 प्रतियां)।
3. गृह सचिव/सचिव (राजभाषा)/सचिव (बीएम)/विशेष सचिव (आईएस)/महानिदेशक (अवार्ड)/अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (गृह)/अपर सचिव (एलडब्ल्यूई/सीटीसीआर और आईएस-1)/अपर सचिव (जेकेएल/एफएफआर/एनई) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और निजी सचिव।
4. राजभाषा विभाग/प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह) सहित गृह मंत्रालय में सभी संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
5. एडीजी (मीडिया)।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी/निदेशक(सी-1)/निदेशक (राजभाषा)/उप सचिव (संसद)।
7. सहायक निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक(राजभाषा)-एनडीसीसी-11/अवर सचिव (समन्वय-111)/अनुभाग अधिकारी(संसद)/अनुभाग अधिकारी (आईटी)/अनुभाग अधिकारी (सीआर)/अनुभाग अधिकारी (प्राप्ति एवं प्रेषण)।
8. प्रतिलिपि अपलोड करने के लिए संसद सहायक/एचएमपी अनुभाग/प्रभारी (एनआईसी/गृह मंत्रालय) को।